न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/03/2021	2021/34	04–03–2021	07–04–2021

1– महावीर गिरी महाराज पुत्र श्री रमागिरीजी जाति वैरागी निवासी बीड़ का स्थान भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। –**प्रार्थी**

बनाम

1– जगदीश पुत्र स्व0 गोकुल मीणा जाति मीणा
2– किशनलाल पुत्र स्व0 गोकुल मीणा जाति मीणा
3– पप्पू पुत्र स्व0 गोकुल मीणा जाति मीणा
4– कैलाश पुत्र स्व0 गोकुल मीणा जाति मीणा
5– महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति मीणा
6– विजय पुत्र किशनलाल मीणा जाति मीणा निवासीयान् ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। –**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री अमरचन्द्र चौधरी –वकील प्रार्थी
02. श्री मुकेश शर्मा –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी महावीर गिरी बनाम जगदीश वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी महावीर गिरी बनाम जगदीश वगै0 विचाराधीन है। आराजी खसरा नम्बर हाल 825/0.79 है0, 826/0.57 है0 कुल किता 2 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा मिन वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्श है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी में मिन वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा करते है तथा जबरन मिन वादी को –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। जिसके लिए उक्त वाद पेश किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 जगदीश प्रभावशाली व्यक्ति है तथा वर्तमान में वह सरपंच है जिसने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने एलानिया कहा है कि उसने पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर ली है और आगामी पेशी पर वादी का वाद खारिज करा देगा। मिन वादी ने अप्रार्थी सं0 1 को कई बाद चैम्बर में आते जाते देखा है तथा गत तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी ने जाहिर किया कि वादी संधू संत है उसका आराजी से क्या लेना देना है और यह भी जाहिर किया कि वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार मिन प्रार्थी वादी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। और पीठासीन अधिकारी पूरी तरह प्रतिवादीगण के प्रभाव में है। जिससे न्यायहित में उक्त वाद पत्रावली सुनवाई हेतु किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्याय संगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी महावीर गिरी बनाम जगदीश वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप मनगढंत रूप से दर्ज किये गये है। प्रार्थना–पत्र महज वाद में देरी करने की गर्ज से पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के बाबत किसी भी साक्ष्यी का शपथ–पत्र पृथक से पेश नहीं किया गया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 825/0.79 है0, 826/0.57 है0 कुल किता 2 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा बाबत एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 पेश किया गया था जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक है। मनगढंत है। दिनांक 19.11.2020 को उक्त पत्रावली स्थानांतरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई थी। तत्समय तक विधिवत तामील सम्पूर्ण नहीं हो पायी थी। पत्रावली दर्ज कर प्रकरण सं 1/138 में अप्रार्थीगण को तामील उपरांत भी आदिनांक तक प्रतिवादीगण के वकील द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश पूर्व मुंतकिल प्रा0पत्र पेश हो जाने के कारण आदिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी बहस में कोई स्पष्ट कथन पेश नहीं किया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर—

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल प्रथमदृष्ट्या न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विद्वान अभिभाषको की बहस के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी महावीर गिरी बनाम जगदीश वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07–04–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

07/04/2022

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)